# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :—यू0डी0खान
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 06 / 2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ( भूमिधारी ) तहसील व जिला झुंझुनूं।

— प्रार्थी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र मनसाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. भगवती पत्नी मनसाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. हीरालाल पुत्र मनसाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः—

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट— प्रार्थी की ओर से।
2. श्री हरिप्रसाद सैनी, एडवोकेट— अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर से।

## आदेश

दिनांक 23.12.2021

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 288 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी मे स्थित भूमि ख0न0 807 रकबा 0.63 है0 किस्म बंजड द्वितीय एवं ख0न0 808 रकबा 0.63 है0 किस्म बंजड द्वितीय की गैर खातेदारी औमप्रकाश पुत्र मनसाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाडी तहसील व जिला झुंझुनूं, भगवती पत्नि मनसाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाडी तहसील व जिला झुंझुनूं, हीरालाल पुत्र मनसाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाडी तहसील व जिला झुंझुनूं गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड है:—

| क्र. सं. | जमाबन्दी सम्वत् | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012—2015 | 217 | 89 बीघा | बंजड़ द्वितीय | पाना मुस्तरका राजकीय हिस्सा 1/2<br>पाना संग्राम सिंह जी हिस्सा 1/2 |
| 2 | 2015—2018 | 217 | 89 बीघा | बंजड़ द्वितीय | सरकार |
| 3 | 2017—2020 | 217 | 75 बीघा 8 बिस्वा | बंजड़ द्वितीय | राजकीय |
| 4 | 2021—2024 | 217/1 | 6 बीघा 10 बिस्वा | बंजड़ द्वितीय | राजकीय |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025–2028 | 217/23<br><br>217/22 | 2 बीघा 10 बिस्वा,<br>2 बीघा 10 बिस्वा | बंजड़ द्वितीय | नारया पुत्र हेमा, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार, राजकुमार पु0 हेमाराम, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार |
| 6 | 2029–2032 | 217/23<br><br>217/22 | 2 बीघा 10 बिस्वा,<br>2 बीघा 10 बिस्वा | बंजड़ द्वितीय | नारया पुत्र हेमा, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार, राजकुमार पु0 हेमाराम, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार |
| 7 | 2033–2036 | 217/23<br><br>217/22 | 2 बीघा 10 बिस्वा,<br>2 बीघा 10 बिस्वा | बंजड़ द्वितीय | नारया पुत्र हेमा, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार, राजकुमार पु0 हेमाराम, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार |
| 8 | 2042–2045 | 217/23<br><br>217/22 | 2 बीघा 10 बिस्वा,<br>2 बीघा 10 बिस्वा | बंजड़ द्वितीय | नारया पुत्र हेमा, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार, राजकुमार पु0 हेमाराम, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार |
| 9 | 2046–2049 | 217/23<br><br>217/22 | 2 बीघा 10 बिस्वा,<br>2 बीघा 10 बिस्वा | बंजड़ द्वितीय | नारया पुत्र हेमा, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार, राजकुमार पु0 हेमाराम, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार |

उक्त वर्णित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2012–2015 से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है जो गलत है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नही हैं इस प्रकार की भूमियो की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जावेगी। विवादित भूमि श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी की हैसियत से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थना पत्र बहुत ही मजबूत आधारों पर पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 288 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी में स्थित भूमि ख0न0 807 रकबा 0.63 है., किस्म बजड द्वितीय, ख0न0 808 रकबा 0.63 है0 किस्म बजड़ द्वितीय की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करे।

2 बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक ( प्रार्थी ) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम कालीपहाडी की सरहद मे स्थित भूमि ख0न0 807 रकबा 0.63 है0 किस्म बंजड द्वितीय एवं ख0न0 808 रकबा 0.63 है0 किस्म बंजड द्वितीय के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012–2015 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 217 की गैर खातेदारी औमप्रकाश पुत्र मनसाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाडी तहसील व जिला झुंझुनूं, भगवती पत्नि मनसाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाडी तहसील व जिला झुंझुनूं, हीरालाल पुत्र मनसाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाडी तहसील व जिला झुंझुनूं गैर खातेदार के खाते

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

ने दर्ज रिकार्ड है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की गैरखातेदारी अनोवदक के खाते से हटाई जाकर खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

3 अप्रार्थी वकील ने राजकीय अभिभाषक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि का हिस्सा 1/2 संवत् 2012–2015 मे पाना संग्राम सिंह के नाम था। अप्रार्थीगण पाना संग्राम सिंह के उप कृषक थे। अप्रार्थीगण को विवादित भूमि की खातेदारी की पास बुक जारी की हुई है एवं अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र गलत रूप से पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा मौजा कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनू की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 288 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी में स्थित भूमि ख0न0 807 रकबा 0.63 है0 किस्म बंजड द्वितीय एवं ख0न0 808 रकबा 0.63 है0 किस्म बंजड द्वितीय की गैर खातेदारी अप्रार्थी के पूर्वज के नाम से निरस्त कर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :–

1. प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा विवादित आराजी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताया है तथा भूमि गैर खातेदारी को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में अप्रार्थी का तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी कभी सार्वजनिक उपयोग में नही ली गई है। बल्कि आराजी सम्वत् 2021 से अप्रार्थीगण के पूर्वजों के कब्जा काश्त की भूमि रही है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है जिससे उनके इस तर्क को सही माना जा सके की भूमि सार्वजनिक उपयोग भूमि रही है।
2. अप्रार्थी का दूसरा तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागू नही होते है क्योंकि विवादित आराजी ग्राम कालीपहाडी स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 217 सम्वत् 2012 से 2015 तक गैर खातेदारी में दर्ज रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियो की श्रेणी में गोचर भूमि, नदी, तल अथवा तालाब तथा किसी लोक प्रयोजन या लोक उपयोग के कार्य लिए प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि को माना है। प्रकरण में विवादित आराजी किस्म बजड़ द्वितीय दर्ज रही है, जो गैर खातेदारी में रही भूमि है। विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागू नही होते है।
3. राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी सम्वत् 2021 से अर्थात 54 साल से अप्रार्थीगण के पूर्वजो नाम गैर खातेदारी में दर्ज रही है। जमीन की किस्म बजड द्वितीय है तथा अप्रार्थीगण भूमि का कर दे रहे है। विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी में काश्त का अंकन है। उक्त समस्त तथ्यो के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स चलने योग्य नही है।
4. इसी संबंध में हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना कमांक **F.9(8)Rev-6/2017pt./135 jaipur, Dated 01.12.2021** को जारी किया गया है। उक्त अधिसूचना द्वारा राजस्थान भू–राजस्व ( कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन ) नियम 1970 नियम 18 में संशोधन करते हुये नियम 18 की धारा 4 ( भूमि, जो इन नियमो के अधीन आंवटन के लिए उपलब्ध नहीं होगी ) के अलावा अन्य भूमियों में अधिसूचना में अंकित शर्तो अनुसार गैरखातेदारी से खातेदारी दी जा सकती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार को आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार झुंझुनू राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.12.2021 के अनुसरण में नियमानुसार कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/12/21

( यू0डी0खान )
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनूं